छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा षष्ठम् सत्र अंक-03

<u>रायपुर, बुधवार, दिनांक 26 फरवरी, 2020</u>

(फाल्गुन 7, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. सदन को सूचना

नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों हेतु विधान सभा की लॉबी स्थित सदस्य कक्ष में दिनांक 26 फरवरी, 2020 को एस.एम.सी.हार्ट इंस्टीट्यूट एण्ड आई.व्ही.एफ.रिसर्च सेन्टर द्वारा नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित है।

कृपया माननीय सदस्य प्रात: 11.00 बजे से सायं 5.00 के मध्य शिविर का लाभ लेवें।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 11 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 27 तारांकित एवं 50 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार-

(i) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर का सप्तम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 तथा

(ii) बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019

पटल पर रखे।

4. पृच्छा

श्री बृजमोहन अग्रवाल, डॉ.रमन सिंह एवं अन्य सदस्यों ने प्रदेश में किसानों से धान नहीं खरीदने एवं धान खरीदी की समयावृद्धि की घोषणा किये जाने की मांग की ।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये ।)

(निरंतर व्यवधान होने से सदन की कार्यवाही 12.07 बजे स्थगित की जाकर 12.16 बजे समवेत हुई।)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने पुन: धान खरीदी की समयावृद्धि की घोषणा किये जाने संबंधी उल्लेख किया ।

माननीय सभापति ने कथन किया कि स्थगन पर कल चर्चा हो गई है अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी ।

5. वक्तव्य

प्रदेश में असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने प्रदेश में असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य दिया ।

6. बहिर्गमन

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में विपक्ष के सदस्यों द्वारा वक्तव्य के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये ।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि जिस विषय में ध्यानाकर्षण है, उस विषय पर सरकार का पृथकत: वक्तव्य आना नियमों के विपरीत है ।

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि माननीय मंत्री ने असामयिक वर्षा पर वक्तव्य दिया है, यह कोई नियमों के विपरीत नहीं है ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

7. पृच्छा

श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने विशेषाधिकार भंग की सूचना का उल्लेख किया ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि आपकी सूचनाएं विचाराधीन हैं ।

8. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री धरमलाल कौशिक, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, श्री रजनीश कुमार सिंह सदस्य ने प्रदेश में बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने प्रदेश में सी वीड जेल और एक्सट्रैक्ट खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

9. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा

(2) श्री नारायण चंदेल

(3) श्री कुंवर सिंह निषाद

(4) श्री सौरभ सिंह

(5) श्री दलेश्वर साहू

माननीय अध्यक्ष ने माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के संबंध में चर्चा हेतु श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य का नाम पुकारा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने आसंदी का ध्यान अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों की अनुपस्थिति की ओर आकर्षित किया ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 05 मिनट के लिये स्थगित की ।

(सदन की कार्यवाही 01.12 बजे स्थगित की जाकर 01.20 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

10. माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री धनेन्द्र साहू, (जारी)

(01.30 बजे से 03.01 बजे तक अन्तराल।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री धनेन्द्र साहू,

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर निम्नलिखित सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए :-

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, डॉ.रेणु अजीत जोगी, सर्वश्री धर्मजीत सिंह, सौरभ सिंह, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्रीमती इन्दू बंजारे,

माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव व संशोधनों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री शिवरतन शर्मा,

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये ।)

सर्वश्री मोहन मरकाम, धर्मजीत सिंह, संतराम नेताम, नारायण चंदेल, श्रीमती इन्दू बंजारे

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से सदन के समय में 06.00 बजे तक वृद्धि किये जाने संबंधी घोषणा की)

श्रीमती इन्दू बंजारे, सदस्य ने चर्चा के दौरान उल्लेख किया कि आज जब वे विधान सभा आ रही थीं तो उनकी गाड़ी को चौक के बैरियर पर 10 मिनट रोक दिया गया और विधान सभा आने से रोका गया ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने निर्देशित किया कि जिसने भी रोकने का काम किया है उसे तत्काल निलंबित किये जाने की कार्यवाही की जाये ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, डॉ.लक्ष्मी ध्रुव, श्री सौरभ सिंह ।

श्री रजनीश कुमार सिंह ।

सायं 05.56 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 27 फरवरी, 2020 (फाल्गुन 8, शक संवत् 1941) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा